न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 34/2020

वादी

1. पेमाराम पुत्र तुलछाराम जाति घांची निवासी घाचियों की बड़ी हथाई खोड़ो का बास, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. आनंद मेवाड़ा पुत्र मांगीलाल जाति कलाल निवासी होटल आंनद गोयली रोड़ तहसील सिरोही जिला सिरोही
2. खुमाराम पुत्र भानाराम के का0मु0 :–

2/1. देवाराम पुत्र खुमाराम

2/2. राजेन्द्र पुत्र खुमाराम

2/3. पप्सा पुत्र खुमाराम जातियान मेवाड़ा निवासीगण करणी कॉलोनी के पीछे, सोजत सिटी तह0 सोजत

3. बाबूलाल पुत्र वालाराम जाति मेवाड़ा निवासी रेन्दड़ी तह0 सोजत
4. महेन्द्र मेवाड़ा पुत्र बाबूलाल जाति मेवाड़ा निवासी शांति नगर, सिरोही
5. राजेन्द्र पुत्र खुमाराम जाति घांची निवासी हाई स्कूल रोड़, करणी कॉलोनी के पीछे, सोजत सिटी तह0 सोजत
6. राजूराम पुत्र धन जाति घांची निवासी घाचीयो की बड़ी हथाई, खोड़ो का बास, सोजत सिटी

7 राणाराम पुत्र अनाराम

8. वेनाराम पुत्र अनाराम जाति राईका निवासी चांदपोल के अंदर राईको का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत

9 शिवदतसिंह पुत्र हिंगलाजदान जाति चारण, निवासी रेन्दड़ी तह0 सोजत

10. तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राज॰)

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थितिः</u>–

1. श्री गजेन्द्र दवे एवं भगवती प्रसाद अधिवक्तागण वादी उपस्थित।

–: <u>निर्णय</u> :– दिनांक –22.03.2022

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बासनी मूथा, पटवार हल्का आलावास, भू–अभिलेख क्षेत्र सोजत रोड़, तह0 सोजत में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी, हक–हकुक, कब्जे काश्त की कृषि भूमि पुराना खाता संख्या 144 नया खाता नंबर 167 के खसरा संख्या 49 रकबा 2.4200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल स्थित है। उक्त वादस्थ आराजीयात के ग्राम बासनी मूथा के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

खाता संख्या पुराना 144 व नया 167 में वादी का 115/242 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/726 वां हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 खुमाराम का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके विधिक वारिसान/कायम मुकाम बनाये जाने से प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/3 का संयुक्त 1/121 वां हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/484 वां हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 5/1452 वां हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 161/1210 वां हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 207/605 वां हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 2/121 वां हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/726 वां हक हिस्सा हक, संयुक्त हकूक, खातेदारी, कब्जा काश्त का आता है जो सभी अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में मौखिक बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं मौखिक बंटवाड़ा अनुसार उक्त वादस्थ कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटी हुई है और राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही कब्जा काश्त करते आ रहे है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक बंटवाड़ा नहीं होने से हमेशा काश्त करते समय धोरा पाली को लेकर वादी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद व मतभेद उत्पन्न होते रहते है। इसलिये वादी अपनी हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का उपभोग व उपयोग सही ढंग से नही कर पा रहा है। वादी ने दिनांक 01/08/2020 को प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजीयात का आपसी सहमति से मौके पर काबिज स्थिति अनुसार बंटवाड़ा कराने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करने से साफ मना कर दिया, जबकि वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तहत बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत होने से यह वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बंटवाड़ा का पेश किया है। यह वाद बंटवाड़ें का होने से तथा भूमिधारक तहसीलदार सोजत को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 01/08/2020 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को मौके पर काबिज स्थिति अनुसार विधिक बंटवाड़ा का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा उक्त अनुसार विधिक बंटवाड़ा करने से वादी को इंकार करने के कारण बमुकाम ग्राम बासनी मूथा तहसील सोजत में उत्पन्न होने के कारण यह वाद बाबत् बंटवाड़ा का अंदर म्याद पेश किया है। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम बासनी मूथा तहसील सोजत में स्थित होने के कारण श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हक, हिस्से एवं मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तहत बंटवाड़ा करवाया जाकर सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने तथा वादी का 115/242 वां हिस्से की भूमि को राजस्व नक्शें में तरमीम करवाये जाने तथा अलग से लगान निर्धारित कर बंटवाड़ा किये जाने की ईस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 को बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 29.10.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

प्रति0 संख्या 10 तहसीलदार, सोजत जबाब जबाब दावा पेश नही करना चाहने से दिनांक 29.10.2020 को जबाब दावा बंद किया गया। बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार, सोजत प्रा0 डिक्री वाद किये जाने पर सुनी गई। प्रा0 डिक्री की बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वादी एवं प्रति0 की खातेदारी हकूक की संयुक्त कृषि भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर खाता लगान अलग–अलग किये जाने की ईश्तदुआ की प्रति0 संख्या 10 तहसीलदार, सोजत ने प्रा0 डिक्री जारी कर उभय पक्षों में वादस्थ उक्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन/बंटवाड़ा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जबाब बहस में व्यक्त किया। दिनांक 29.10.2021 को वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर प्रा0 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 जारी की गई कि सरहद मौजा बासनीमूथा प0ह0 आलावास, तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि ख0न0 49 रकबा 02.4200 है0 बा0अ0 भमि का खातेदारो/पक्षकारानों के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा/विभाजन अर्थात् खाता व लगान का अलग अलग निर्धारण किये जाने हेतु पत्रांक/कोर्ट/2021/114 दिनांक 14.01.2021 के जरिए अधिकृत किया गया। प्रा0 डिक्री जारी कर डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पालना चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/905 दिनांक 26.11.2021 द्वारा आर0टी0एक्ट0 (राजस्व मण्डल) नियम 1955 की धारा 18 से 21 अनुसार पालना कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किए, सा0मि0 किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी एवं उपस्थित पक्षकार सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि उपस्थित वादी, प्रति0 संख्या 3 तथा मौतबिरानो के रूबरू तैयार कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा/विभाजन किये जाने की ईश्तदुआ की है, जिस पर उपस्थित प्रतिवादी पक्षकारान ने सहमति/स्वीकारोक्ति व्यक्त की है। लिहाजा वादी मय अधिवक्ता का वाद डिक्री किया जाकर वादस्थ भूमि का पक्षकारानो में विभाजन/बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मय विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा बासनीमूथा प0ह0 आलावास, तहसील सोजत के खसरा संख्या 49 रकबा 2.4200 हैक्टर बा0अ0 कृषि भूमि का बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से पक्षकारानों मे किया जाता है:–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा है0 में	किस्म	लगान
1.	पेमाराम पुत्र तुलछाराम कौम घांची सा0 देह खातेदार	49/2	1.15	बा.अ.	
2.	आनंद मेवाड़ा पुत्र मांगीलाल जाति कलाल देवाराम पुत्र खुमाराम राजेन्द्र पुत्र खुमाराम पप्सा पुत्र खुमाराम जातियान मेवाड़ा	49	0.19	बा.अ.	

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

	बाबूलाल पुत्र वालाराम जाति मेवाड़ा महेन्द्र मेवाड़ा पुत्र बाबूलाल जाति मेवाड़ा राजेन्द्र पुत्र खुमाराम जाति घांची राजूराम पुत्र धन जाति घांची शिवदत्तसिंह पुत्र हिंगलाजदान जाति चारण				
3.	राणाराम पुत्र अनाराम वेनाराम पुत्र अनाराम जाति राईका सा0 सोजतसिटी	49/1	0.08	बा.अ.	

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी

1. पेमाराम पुत्र तुलछाराम जाति घांची निवासी घाचियों की बड़ी हथाई खोड़ो का बास, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. आनंद मेवाड़ा पुत्र मांगीलाल जाति कलाल निवासी होटल आंनद गोयली रोड़ तहसील सिरोही जिला सिरोही
2. खुमाराम पुत्र भानाराम के का0मु0 :–

2/1. देवाराम पुत्र खुमाराम

2/2. राजेन्द्र पुत्र खुमाराम

2/3. पप्सा पुत्र खुमाराम जातियान मेवाड़ा निवासीगण करणी कॉलोनी के पीछे, सोजत सिटी तह0 सोजत

3. बाबूलाल पुत्र वालाराम जाति मेवाड़ा निवासी रेन्दड़ी तह0 सोजत
4. महेन्द्र मेवाड़ा पुत्र बाबूलाल जाति मेवाड़ा निवासी शांति नगर, सिरोही
5. राजेन्द्र पुत्र खुमाराम जाति घांची निवासी हाई स्कूल रोड़, करणी कॉलोनी के पीछे, सोजत सिटी तह0 सोजत
6. राजूराम पुत्र धन जाति घांची निवासी घाचीयो की बड़ी हथाई, खोड़ो का बास, सोजत सिटी
7. राणाराम पुत्र अनाराम
8. वेनाराम पुत्र अनाराम जाति राईका निवासी चांदपोल के अंदर राईको का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत
9. शिवदतसिंह पुत्र हिंगलाजदान जाति चारण, निवासी रेन्दड़ी तह0 सोजत
10. तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 34/2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी **श्री गजेन्द्र दवे एवं भगवती प्रसाद अधिवक्तागण वादी** पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बासनीमूथा प0ह0 आलावास, तहसील सोजत के खसरा संख्या 49 रकबा 2.4200 हैक्टर बा0अ0 कृषि भूमि का बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से पक्षकारानों मे किया जाता है:–

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा है0 में	किस्म	लगान
1.	पेमाराम पुत्र तुलछाराम कौम घांची सा0 देह खातेदार	49/2	1.15	बा.अ.	
2.	आनंद मेवाड़ा पुत्र मांगीलाल जाति कलाल देवाराम पुत्र खुमाराम राजेन्द्र पुत्र खुमाराम पप्सा पुत्र खुमाराम जातियान मेवाड़ा बाबूलाल पुत्र वालाराम जाति मेवाड़ा महेन्द्र मेवाड़ा पुत्र बाबूलाल जाति मेवाड़ा राजेन्द्र पुत्र खुमाराम जाति घांची राजूराम पुत्र धन जाति घांची शिवदत्तसिंह पुत्र हिंगलाजदान जाति चारण	49	0.19	बा.अ.	
3.	राणाराम पुत्र अनाराम वेनाराम पुत्र अनाराम जाति राईका सा0 सोजतसिटी	49/1	0.08	बा.अ.	

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत –

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.03.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.